सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 22, बुधवार, *शाके* 1945-सितम्बर 13, 2023
Bhadra 22, Wednesday , Saka 1945- September 13, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान जयपुर

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवम उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

अधिसूचना

करौली, सितम्बर 05, 2023

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1))

भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार 2016 के प्रावधानुसार एवम राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप-6 विभाग के परिपत्र क्रमांक प०1 150 राज0 /6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार करौली जिले की तहसील हिण्डौन (ग्राम-सिकरौदामीना एवम हिण्डौनABCD) एल.सी.नंबर 198 पर रेल्वे आवॅर ब्रिज निर्माण में निम्नानुसार प्रभावित गाँवो में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित्त है।

ग्राम- सिकरौदामीना विवरण **ग्राम- सिकरौदामीना विवरण**

क्र. सं.	खसरा सं.	कुल रकबा (है0)	अवाप्त किए जाने वाला क्षेत्रफल (है0)
1	533	0.1900	0.0196
2	534	0.0400	0.0241
3	535	0.3900	0.0476
4	586	0.2900	0.0199
5	587	0.2800	0.0523
6	588	0.0700	0.0848
7	589	0.2800	0.0214
8	605	0.3000	0.0027
9	607	0.9300	0.1206
10	609	1.3000	0.0060
11	614	0.8000	0.2236
12	615	0.2800	0.1696
13	616	1.4000	0.5421

क्र. सं.	खसरा सं.	कुल रकबा (है0)	अवाप्त किए जाने वाला क्षेत्रफल (है0)
26	696	0.1200	0.0317
27	697	0.4300	0.4325
28	698	0.0200	0.0000
29	701	0.2200	0.0570
30	702	0.6300	0.3525
31	704	0.2400	0.0001
32	709	0.0600	0.0005
33	711	0.3100	0.0534
34	712	0.1500	0.1104
35	713	0.2500	0.0454
36	714	0.2200	0.0435
37	723	0.2200	0.0309
38	724	0.2400	0.0280

14	634	0.1900	0.0564
15	636	0.0300	0.0054
16	637	0.0200	0.0235
17	638	0.4000	0.0515
18	644	0.2600	0.0540
19	653	0.2800	0.1037
20	654	0.6000	0.1031
21	657	0.5600	0.0139
22	675	3.4600	0.1331
23	693	0.3200	0.0599
24	694	0.0300	0.0043
25	695	0.1200	0.0193
39	725	0.6400	0.0604
40	726	0.8800	0.0142
41	967	0.4200	0.0326
42	968	0.5500	0.1769
43	685/2140	0.3600	0.0184
44	697/2067	0.0900	0.0690
योग	किता ४४		3.5198

ग्राम-हिण्डौनABCD विवरण

क्र. सं.	**खसरा सं.**	**कुल रकबा (है0)**	**अवाप्त किए जाने वाला क्षेत्रफल (है0)**
1	3797/1	1.93	0.01496
2	3797/2	0.0700	
योग	किता २		0.01496

अधिसुचित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या ३०/२०१३) में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 11(1) के प्रावधानों के तहत की जाएगी।

- सरकार द्वारा अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0वि0 खण्ड हिण्डौन व उनके स्टाफ/कर्मचारी को इलाके में किसी भी भूमि का सर्वे, नाप व लेवल के लिए प्रवेश करने, भूमि के नीचे मिट्टी की जांच के लिए बोर करने व परियोजना के किर्यान्वन व उचित निर्माण के लिए अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत किया जाता है।
- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख़ के अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो कने के समय तक प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का जिला कलेक्टर महोदय की अनुमति के बिना कोई सव्यवहार नहीं करेगा या कोई सव्यवहार कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा।
- परियोजना हेतू नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतू सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड हिण्डौन द्वारा सामाजिक समाघात हेतु एजेन्सी का चयन करवाया जायेगा।
- सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवो में सामाजिक समाघात निर्धारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार 2016 के प्रावधानुसार किया जावेगा सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

  1.संस्थान द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात

  निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

  2.प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गावों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी तत्पश्चात प्रभावित

गाँवो में पर्याप्त

प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप् से रिकार्ड किया जावेगा।

3.जनसुनवाई के दौरान आये सुझावों/ आपतियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण

रिपोर्ट एवम सामाजिक समाघात प्रबन्ध रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गावों में सम्बंधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।

5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद का अक्रत

और शून्य बना देगा।

6. सामाजिक समाघान निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि में पूर्ण सम्पूर्ण

कराया जाना अनिवार्य है।

सम्पर्क सूत्र

भूमि अवाप्ति अधिकारी

एवम उपखण्ड अधिकारी

हिण्डौन, जिला करौली

Email Id:-sdohindaun@gmail.com

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।